मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 की कंडिका 19 अंतर्गत "सिनेमा हॉल के अनुदान प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रक्रिया, नियम, एवं निर्देशों का प्रारूप"

मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 की कंडिका 19 के अंतर्गत नवीन एकल स्क्रीन सिनेमाघर की स्थापना, मौजूदा सिनेमाघर के पुर्नउद्धार एवं बन्द पड़े सिनेमाघरों को फिर से क्रियाशील करने पर किये गये अद्धतन कार्य हेतु पात्र परियोजनाओं तथा मल्टीप्लेक्स की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान की गणना हेतु पूंजीगत व्यय को परिभाषित करने, आवेदन पत्र एवं चैकलिस्ट निर्धारण तथा अनुदान स्वीकृति व वितरण प्रक्रिया तय करने बावत्।

1. मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 की कंडिका 19 में वर्णित पात्र सिनेमाघर एवं मल्टीप्लेक्स परियोजनाओं में अनुदान की गणना हेतु पूंजीगत निवेश से तात्पर्य उस व्यय से लिया जायेगा जो नवीन परियोजना की स्थापना, पूर्व से बन्द सिनेमाघर का पुर्नउद्धार कर फिर से क्रियाशील हेतु आवश्यक स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण तथा फिल्म प्रसारण/स्क्रीनिंग हेतु स्थापित किये गये उपकरणों की स्थापना किया गया हो। अत: निम्नानुसार मदों में कुल पूंजीगत व्यय को अनुदानों की गणना हेतु मान्य एवं अमान्य योग्य पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जाता है :-

2.1 मान्य पूंजीगत व्यय (मूल पूंजीगत व्यय)

2.1.1 परियोजना हेतु निर्मित स्थायी भवन की निर्माण लागत जो इकाई के स्वामित्व अथवा न्यूनतम 30 वर्ष या उससे अधिक के लीज पर ली गई हो, इकाई के स्वामित्व की भूमि पर स्थित हों एवं जिनका इकाई के सुचारू संचालन हेतु निर्मित किया जाना आवश्यक हो।

2.1.2 बाउंड्री वॉल

2.1.3 अंदरुनी सड़कें, ड्रेनेज, प्रवेश द्वार

2.1.4 स्टोर

2.1.5 किचिन/पेन्ट्री एरिया

2.1.6 जल प्रदाय व्यवस्था (पाइप लाईन, टंकी, पंप-हाउस, जल शोधन संयंत्र आदि)

2.1.7 प्रोजेक्शन रूम एवं आवश्यक उपकरण

2.1.8 वायु एवं जल प्रदूषण उपचार हेतु स्थापित संयंत्र, इंसीनरेटर आदि

2.1.9 सेंट्रलाईज एयर कंडिशनिग सिस्टम,

2.1.10 पॉवर सब-स्टेशन, ट्रांसफार्मर, विद्युत लाईन, विद्युत पोल

2.1.11 डी.जी. पावर बैकअप (स्वयं के उपयोग हेतु)

2.1.12 दूरसंचार की व्यवस्था- (स्वयं के उपयोग हेतु स्वयं स्थापित)

2.1.13 इलेक्ट्रिक लाईनिंग, वॉटर सप्लाई लाईनिंग, गैस/स्टीम सप्लाई लाईनिंग

2.1.14 स्थाई रूप से स्थापित साउंड, लाइट, पब्लिक एड्रेस एवं इंटरनेट सिस्टम व नेटवर्क।

2.1.15 अग्नि-शमन संयंत्र/सिस्टम एवं फायर ब्रिगेड

2.1.16 किचिन, लॉबी/कॉमन एरिया, टिकिट विन्डो (बॉक्स आफिस), अमानती सामान गृह आदि अधोसंरचनाओं में स्थायी रूप से अथवा स्थापित ऐसी मशीनरी एवं संयंत्र जिनके बिना उपयोगिता अनुसार आवश्यक कार्य करना संभव न हो

2.1.17 स्क्रीनिंग हॉल, प्रोजेक्शन स्क्रीन (फिल्मांकन पर्दे) का साईज, ध्वनि निरोधन (साउण्ड प्रूफिंग), ध्वनि प्रणाली, स्थाई कुर्सियों की संख्या, आगमन एवं निकास द्वार आदि

2.1.18 ऐसे अन्य स्थायी निर्माण/संयंत्र मशीनरी/टूल-उपकरण जो परियोजना पूर्ण करने के लिये अथवा संचालन हेतु अतिआवश्यक हो

2.1.19 तकनीकी ज्ञान अर्जन (Technical Know-How) शुल्क एवं कंसलटेन्सी चार्जेस (कुल निमार्ण लागत के 2% अथवा वास्तविक व्यय जो कम हो)

2.1.20 विभिन्न अनुमतियां एवं कनेक्शन आदि प्राप्त करने के लिये जमा की गई स्थाई सिक्योरिटी डिपोजिट आदि

2.1.21 प्रथम बार मशीनरी/उपकरण के इंस्टॉलेशन के व्यय

2.1.22 संबंधित फिल्म पर्यटन परियोजना की परिभाषा अनुसार स्थापना हेतु निर्मित आवश्यक अधोसंरचना, साधन, यंत्रोपकरण, संयंत्र, टूल्स, एसेसरीज आदि

2.1.23 सिनेमाघर की भूमि को पहुंच मार्ग से जोड़ने हेतु बनाई गयी आन्तरिक सड़क, विद्युत प्रदाय हेतु किया गया व्यय जिसमें सब-स्टेशन निर्माण सम्मिलित होगा, जल प्रदाय हेतु डाली पाइप लाइन, बनाई पानी की टंकी, जल-मल/ सीवेज निकासी हेतु डाली गयी पाइप लाइन/बनाये गये सिस्टम आदि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (जन उपयोगी) पर किया गया स्थाई पूंजी निवेश स्थापना व्यय सहित।

2.1.24 सिनेमाहॉल का निर्माण अगर किसी अन्य वाणिज्यिक संस्थान/भवन जैसे मॉल, होटल, मार्केट, जिम या अन्य प्रतिष्ठानों के साथ किया जाता हैं तो, ऐसी स्थिति में सिनेमाहॉल के लिए किए गए भवन निर्माण के क्षेत्रफल अनुसार कुल लागत को अनुपातिक मूल्य के आधार पर पूँजीगत अनुदान की गणना के लिए मान्य किया जाएगा।

2.1.25 सिनेमाहॉल का निर्माण अगर किसी अन्य वाणिज्यिक संस्थान/भवन जैसे मॉल, होटल, मार्केट, जिम या अन्य प्रतिष्ठानों के साथ किया जाता हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसी अधोसरंचनाओं (लिफ्ट/पार्किंग/सेन्ट्रलाईज वातानुकूलित सिस्टम/इलेक्ट्रिकल फिटिंग आदि) के लिए किया गया व्यय जिनका उपयोग समस्त प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है/किया जाएगा। ऐसी अधोसरंचनाओं पर किया गया व्यय सिनेमाहॉल के लिए किए गए भवन निर्माण के क्षेत्रफल अनुसार कुल लागत को अनुपातिक मूल्य के आधार पर पूँजीगत अनुदान की गणना के लिए मान्य किया जाएगा।

2.1.26 पार्किंग व्यवस्था

2.1.27 सौर उर्जा/ बायो उर्जा प्रणाली

2.1.28 आपातकालीन निकास व्यवस्था

2.2 अनुदान हेतु अमान्य योग्य पूंजीगत व्यय (अन्य पूंजीगत व्यय)

2.2.1 भूमि का मूल्य

2.2.2 साइट डेवलपमेंट, गार्डन, लेंड स्केपिंग आदि

2.2.3 कार्यशील पूंजी

2.2.4 प्रीआपरेटिव एवं प्रिलिमिनरी व्यय

2.2.5 सेकेण्ड हेंड मशीनरी

2.2.6 ब्याज का पूंजीकरण

2.2.7 ट्रक, कार, वेन, पोलो कार्ट, ट्रेलर, ट्रेक्टर ट्राली, टेंकर और परिवहन के वाहन जो यातायात से संबंधित हो

2.2.8 उपभोग्य स्टोर्स स्कन्ध जो मरम्मत से संबंधित हो

2.2.9 लीज पर ली गयी संपत्तियां (भूमि को छोडकर)

2.2.10 फर्नीचर और फिक्चर्स कटलरी, क्राकरी, बर्तन, पेंटिगस, सजावटी वस्तुएं, पंखे, हीटर, गीजर, स्प्लिट एवं विंडो एसी, पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र, कॉरपेट, परदे एवं फर्नीशिंग इत्यादि पर किया व्यय

2.2.11 ऐसी कोई भी संपत्ति जिसकी आयु 5 वर्ष से कम हो

2.2.12 व्यावसायिक प्रयोजन से निर्मित दुकाने, आवास आफिस आदि जो इकाई के स्वयं के उपयोग में न लिए जा रहे हों तथा जिनका बनाया जाना इकाई के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक न हो।

2.2.13 ऐसे सभी अन्य व्यय जो मान्य सूची में नहीं है।

2.3 कुल पूंजीगत व्यय-

उपरोक्त 2.1 एवं 2.2 अनुसार मदों पर फिल्म पर्यटन परियोजना स्थापना हेतु किया गया पूंजीगत व्यय कुल पूंजीगत व्यय माना जायेगा।

3. उपरोक्त के साथ ही अनुदान प्रक्रिया एवं पात्रता व पूंजीगत व्यय प्रमाणीकरण के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था नियत की जाती है:-

3.1 अनुदान का ऑन-लाइन/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, इकाई द्वारा अधिकृत वित्तीय संस्था/बैंक को किया जावेगा (यदि इकाई द्वारा प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिये ऋण लिया है)

3.2 यदि इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना पर केन्द्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना में अनुदान प्राप्त किया गया है तो इसकी जानकारी इकाई को प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड को देनी होगी तथा इकाई को प्राप्त राशि घटाकर अनुदान की गणना की जायेगी। जानकारी छिपाये जाने की दशा में अनुदान राशि वसूली योग्य होगी।

3.3 यदि कभी भी यह प्रमाणित होता है कि, आवेदक द्वारा तथ्यों को छुपाकर अथवा गलत जानकारी देकर अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान स्वीकृति निरस्त कर, प्रदत्त अनुदान राशि की वसूली शासन के बकाया राजस्व की भांति की जायेगी। इस संबंध में निर्णय लेने व कार्यवाही करने के लिए प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड अधिकृत होंगे।

3.4 ऐसे पूंजीगत व्यय को अनुदान गणना हेतु पात्र माना जायेगा, जो परियोजना के पूर्ण होकर व्यावसायिक गतिविधि प्रारंभ होने के दिनांक तक किया गया हो।

3.5 पूंजीगत व्यय के संबंध में इकाई को उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमांक 2.1 एवं 2.2 में दर्शित मदों पर उपरोक्त कंडिका 3.3 की अवधि में किये गये व्यय के संबंध में मदवार व्यय सूची सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र मूल प्रति में निर्धारित प्रारूप (संलग्न परिशिष्ट-1) में प्रस्तुत करना होगा।

3.6 पूंजीगत अनुदान की पात्रता निवेशकर्ता को होगी। लीज पर परिसंपत्तियां लेकर परियोजना संचालन करने वाली इकाई अनुदान की पात्रता नहीं रखेगी। तथापि निवेशकर्ता को स्वतंत्रता होगी की वह परियोजना का संचालन किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराये।

3.7 स्वीकृत पूँजीगत अनुदान का भुगतान 3 वर्षों में निम्न शर्तों के आधार पर किया जाएगा-

अ. स्वीकृत पूँजीगत अनुदान का 40% राशि, अनुदान स्वीकृत होने वाले वर्ष में

ब. स्वीकृत पूँजीगत अनुदान का 30% राशि ईकाई के निरंतर संचालन के स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (आवश्यक प्रमाण के साथ) प्रस्तुत करने पर, अनुदान स्वीकृति होने के द्वितीय वर्ष में

स. स्वीकृत पूँजीगत अनुदान का 30% राशि ईकाई के निरंतर संचालन के स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (आवश्यक प्रमाण के साथ) प्रस्तुत करने पर, अनुदान स्वीकृति होने के तृतीय वर्ष में

3.8 अनुदान प्राप्त इकाई का निरंतर संचालन-

(i) पर्यटन नीति के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान व अन्य कोई अनुदान प्राप्त इकाई के लिये यह आवश्यक होगा कि वह ऐसा अनुदान प्राप्त करने के दिनांक से 03 वर्षों के लिये निरंतर संचालित रखी जाये। ऐसी इकाईयों को अनुदान प्राप्त करने के उपरांत यह आवश्यक होगा कि वे प्रति वर्ष 15 अप्रैल तक अपने कार्यरत रहने के प्रमाण में स्व प्रमाणित घोषणा पत्र (Self-declaration) प्रस्तुत करें।

उपरोक्त अनुसार पालन न होने पर इकाई को निम्नानुसार अनुदान राशि विभाग को लौटानी होगी-

अ. अनुदान प्राप्ति के एक वर्ष से पूर्व इकाई का संचालन बंद करने पर 80% (अनुदान) राशि।

ब. अनुदान प्राप्ति के 02 वर्ष से पूर्व इकाई का संचालन बंद करने पर 60% (अनुदान) राशि।

स. अनुदान प्राप्ति के 03 वर्ष से पूर्व इकाई का संचालन बंद करने पर 50% (अनुदान) राशि।

(ii) पूंजीगत अनुदान हेतु पात्र इकाई को इकाई प्रारंभ करने के दिनांक से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक होगा।

(iii) पूंजीगत अनुदान हेतु इकाई प्रारंभ होने के अधिकतम 03 वर्ष पूर्व किया निवेश ही अनुदान गणना हेतु मान्य किया जायेगा।

3.9 अनुदान क्लेम हेतु आवेदन पत्र एवं चेकलिस्ट संलग्न परिशिष्ट -2 अनुसार निर्धारित किया जाता है।

3.10 अनुदान प्रकरण निराकरण एवं अनुदान वितरण हेतु संलग्न परिशिष्ट-3 अनुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

3.11 अनुदान प्रकरण निराकरण प्रक्रिया के पालन हेतु प्रारूप आदि निर्धारण व अन्य आवश्यक अनुदेश आदि जारी करने हेतु अध्यक्ष फिल्म फैसिलिटेशन सेल (प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड) अधिकृत होंगे।

संलग्न - परिशिष्ट 1, 2 एवं 3

परिशिष्ट -1

मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान प्राप्ति हेतु पात्र फिल्म पर्यटन परियोजना की स्थापना हेतु किये गये पूंजीगत व्यय का चार्टड अकांडटेंट का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि पूंजीगत अनुदान हेतु आवेदक इकाई मेसर्स .... द्वारा स्थान................................ पर मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 की कंडिका 19 अनुसार अनुदान हेतु पात्र परियोजना .... स्थापित की गयी है। इस परियोजना द्वारा दिनांक .... से व्यावसायिक कार्य प्रारंभ किया गया है। परियोजना में व्यावसायिक कार्य प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया पूंजीगत व्यय निम्नानुसार है:-

क्र0	**पूंजीगत व्यय का मद**	**व्यय राशि रू. में**
1.	मूल पूंजीगत व्यय	
1.1	परियोजना हेतु निर्मित स्थायी भवन की निर्माण लागत	
1.2	बाउंड्री वॉल , पार्किंग	
1.3	अंदरूनी सड़कें, ड्रेनेज, प्रवेश द्वार	
1.4	स्टोर	
1.5	किचिन/पेन्ट्री एरिया	
1.6	जल प्रदाय व्यवस्था (पाइप लाईन, टंकी, पंप-हाउस, जल शोधन संयंत्र आदि)	
1.7	प्रोजेक्शन रूम एवं आवश्यक उपकरण	
1.8	वायु एवं जल प्रदूषण उपचार हेतु स्थापित संयंत्र, इंसीनरेटर आदि	
1.9	सेंट्रलाईज एयर कंडिशनिग सिस्टम, वॉटर हीटिंग सिस्टम	
1.10	पॉवर सब-स्टेशन, ट्रांसफार्मर, विद्युत लाईन, विद्युत पोल	
1.11	डी.जी. पावर बैकअप (स्वयं के उपभोग हेतु)	
1.12	दूरसंचार टॉवर (स्वयं के उपभोग हेतु स्वयं स्थापित)	
1.13	इलेक्ट्रिक लाईनिंग, वॉटर सप्लाई लाईनिंग, गैस/स्टीम सप्लाई लाईनिंग	
1.14	स्थाई रूप से स्थापित साउंड, लाइट, पब्लिक एड्रेस एवं	

	इंटरनेट सिस्टम व नेटवर्क, सी.सी. टी.वी. व्यवस्था	
1.15	विभिन्न अनुमतियां एवं कनेक्शन आदि प्राप्त करने के लिये जमा की गई स्थाई सिक्योरिटी डिपोजिट आदि	
1.16	अग्नि-शमन संयंत्र, सिस्टम एवं फायर ब्रिगेड	
1.17	किचिन, लॉबी/कॉमन एरिया, टिकिट विन्डो (बॉक्स आफिस), अमानती सामान गृह आदि अधोसंरचनाओं में स्थायी रूप से अथवा स्थापित ऐसी मशीनरी एवं संयंत्र जिनके बिना उपयोगिता अनुसार आवश्यक कार्य करना संभव न हो, से सम्बंधित व्यय	
1.18	स्क्रीनिंग हॉल, प्रोजेक्शन स्क्रीन (फिल्मांकन पर्दे), ध्वनि निरोधन (साउण्ड प्रूफिंग), ध्वनि प्रणाली, स्थाई कुर्सियों , आगमन एवं निकास द्वार आदि से सम्बंधित व्यय	
1.19	ऐसे अन्य स्थायी निर्माण/संयंत्र मशीनरी/ टूल-उपकरण जो परियोजना पूर्ण करने के लिये अथवा संचालन हेतु अति आवश्यक हो, से सम्बंधित व्यय	
1.20	तकनीकी ज्ञान अर्जन (Technical Know-How) शुल्क एवं कंसलटेन्सी चार्जेस (कुल निमार्ण लागत के 2% अथवा वास्तविक व्यय जो कम हो)	
1.21	प्रथम बार मशीनरी/उपकरण के इंस्टॉलेशन के व्यय	
1.22	संबंधित फिल्म पर्यटन परियोजना की परिभाषा अनुसार स्थापना हेतु निर्मित आवश्यक अधोसंरचना, साधन, यंत्रोपकरण, संयंत्र, टूल्स, एसेसरीज आदि से सम्बंधित व्यय	
1.23	सौर उर्जा/ बायो उर्जा प्रणाली	
1.24	आपातकालीन निकास व्यवस्था	
	योग	
2	**अन्य पूंजीगत व्यय**	
2.1	भूमि का मूल्य	
2.2	साइट डेवलपमेंट, गार्डन, लेंड स्केपिंग आदि	
2.3	कार्यशील पूंजी	
2.4	प्रीआपरेटिव एवं प्रिलिमिनरी व्यय	
2.5	सेकेण्ड हेंड मशीनरी	
2.6	ब्याज का पूंजीकरण	

2.7	ट्रक, कार, वेन, पोलो कार्ट, ट्रेलर, ट्रेक्टर ट्राली, टेंकर और परिवहन के वाहन जो यातायात से संबंधित हो।	
2.8	उपभोग्य स्टोर्स स्कन्ध जो मरम्मत से संबंधित हो	
2.9	लीज पर ली गयी संपत्तियां	
2.10	फर्नीचर और फिक्चर्स कटलरी, क्राकरी, बर्तन, पेंटिग्स, सजावटी वस्तुएं, पंखे, हीटर, गीजर, स्प्लिट एवं विंडो एसी, पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र, कॉरपेट, परदे एवं फर्नीशिंग इत्यादि पर किया गया व्यय	
2.11	ऐसी कोई भी संपत्ति जिसकी आयु 5 वर्ष से कम हो	
2.12	व्यावसायिक प्रयोजन से निर्मित दुकाने, आवास, आफिस आदि जो इकाई के स्वयं के उपयोग में न लिए जा रहे हों तथा जिनका इकाई के संचालन में उपयोग नहीं हो रहा है, पर किया गया व्यय	
	योग	
3.	**कुल पूंजीगत व्यय बिंदु 1+2**	
4.	**पूंजी व्यवस्था**	
4.1	बैंक/वित्तीय संस्था का नाम एवं प्राप्त ऋण राशि	
4.2	स्वयं इकाई की अंशदान राशि	
4.3	अन्य स्रोतों से प्राप्त (स्रोत सहित)	
	योग	

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रमाण पत्र अनुसार व्यय इकाई के लेखों, लेजर, बैंक खातों से सत्यापित किया गया है। उपरोक्त मदवार व्यय की पृथक-पृथक सूची प्रमाण पत्र के साथ संलग्न की गई है। व्यय उन्हीं मदों का प्रभावित किया गया है जिन पर वास्तविक व्यय किया जा चुका है व अधोसंरचना/निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक

स्थान

चार्टड अकांउटेंट फर्म का नाम, पंजीयन क्र. एवं सदस्यता क्र. यूनिक कोड नं.

पता एवं सील

परिशिष्ट-2

Annexure – 2

Application form for Claiming Capital Subsidy

(Under Clause no. 19 of Madhya Pradesh Film Tourism Policy 2020)

1	Please select the Category of the Project as per clause no. – 19) ○ **Single-screen cinemas** ○ **Revival of Closed and upgrading existing Cinema Halls** ○ **Setting up of Multiplexes**	
2	Brief description about the project:- (Not more than 60 words)	
3	Name and style of Unit:-	
4	PAN number	
5	Complete Postal Address of Unit with Pin Code, Telephone, Mobile No, Fax and Email Id:-	
6	Name of the Promoters/ owners/ company with a brief note on the business antecedents:- (Not more than 60 words)	
7	Name of legally authorized person on behalf of the unit to sign this application and subsidy papers, Designation, Mobile number and Email id:-	
8	Status of Owner / Promoter	
	a) If public/private limited company with copies of Memorandum and Articles of Association	
	b) If partnership, a copy of partnership Deed and Certificate of Registration	
	c) If proprietary concern, name and address of proprietor/certificate of registration	
	d) In case of legal entity other than above a,b,c. Furnish the details and registration from competent authority.	
9	Registration number and date of establishment of certified firm/company/or other legal entity.	
10	Location of Unit with Postal address:- (with Place, Tehsil and District)	
11	Detail of Site:-	
	a) Land Record – Ownership Documents, Approved Khasra Map, Area	

	b) Title – Owned / Leased with copies of sale / lease deed	
12	Detail of project approvals:- a) Date of the building permission and name of appropriate authority:- (Attach copies)	
	b) Copy of the Map approved by the concerned authority:-	
13	Details of construction and installation of plot & machinery etc.	

	Area/Building Infrastructure detail	Numbers	Size/Capacity
i	Total Area of -		
	a. Land		
	b. Building		
	c. Cinema/Multiplex		
ii	Total build up area		
	a. Cinema/Multiplex		
	b. Other		
iii	Open space area		
iv	No. of Floor		
v	No. of Projection Screen		
vi	No. of Seats/Chair per screen		
vii	Common Area/Lobby		
viii	Projection Room		
ix	Emergency Exit		
x	Restaurant/Pantry		
xi	Toilet and Restroom		
xii	Box office/ Ticket Counter		
xiii	Cloak room/ store room/ Machinery room/ Office etc.		
xiv	Total Vehicle Parking		
	a. Alloted for cinema-hall		
	b. Alloted for others		
xv	Other infrastructure created which necessary to run and operate the project.		
xvi	Details of equipments & machinery apparatus installed in projection room, which is necessary to run/operate the project.		
xvii	Details of equipments & machinery apparatus installed in Screening Hall, which is necessary to run/operate the project.		
xviii	Details of common infrastructure road/power/water/ savage etc.		

		created (if the land is given by the department)		
14	Capital Structure			
	a) Total capital cost incurred (as certified by certified Engineer/Valuer) i) Cost of total buildup area :- ii) Cost of total area of cinema-hall/multiplex:-			
	b) Total Project Cost (As certified by certified CA) (in INR) i) Cost of Land :- ii) Cost on building/other construction :- iii) Cost of machinery and other:- components iv) Other fixed assets :- v) Working capital :- Total :-			
	c) Financial arrangements (in INR) I) Loan from bank/financial institution ii) Shield/promoters contributions iii) Name of bank/financial institution (Specify the details: - account number, IFSC code, bank and branch name etc.)			
15	Expenditure incurred/investment made on the project - as on date of commercial operation			
	i	Land and site development	INR	
	ii	Building and construction	INR	
	iii	Installation of equipment/ machinery/apparatus etc.	INR	
	iv	Creation of project specific (please specify) other Construction/ infrastructure/ installation	INR	
	v	Creation of common infrastructure i.e. road, power, water and sewage (if the land is provided by the department)	INR	
	vi	Any other expenditure (please specify)	INR	
16	Capital expenditure on which subsidy is being claimed. This should be in accordance with the attached annexure-1 (C.A. certificate to be attached)	INR		
17	Subsidy claimed	INR		
18	Proof of date of commercial operation a) Proof of first day of operation :- b) Copy of first ticket sold :- c) Copy of first bill of service/facility provided			

	d) Any other legally acceptable proof to prove the date of Commercial operation	
19	List of Employees with copy of their Aadhar/EPFO Reg. certificate (If applicable)	
20	FSSAI Certificate if Cafeteria/Food & Beverage facility is available	
21	NOC from Pollution Control Board /Fire safety Dept./ Competent authority/Local Body	
22	Colored Photographs of Unit/Project from 06 different angles (03 building & 03 Screening-Projection area)	
23	Detail of capital subsidy claimed/received from any other department of central Govt./state Govt. for this project	
24	Any other information, applicant feels necessary to be given for the claim.	

Note :-

1. All documents must be valid at the time of application.
2. All copies of documents submitted must be self attested .
3. Madhya Pradesh Tourism Board can call for any additional documents, if required, from time to time.
4. The application form should be filled completely in all respect and requisite document should be attached with the application.

Declaration

I/We...hereby undertake that :
I/we will abide by other conditions which may be stipulated by the Ministry of Tourism, Government of India and Government of Madhya Pradesh.

I/we hereby declare that above statements and enclosed documents are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any subsidy amount granted to me/us on the basis of the statement/documents furnished is liable to withdrawn and recovered with interest/penalty as decided by the authority as the case may be the government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case, If it is found that any of the statements/ documents therein are incorrect or false.

Seal and Signature
(with Name,Address,Email ID and
Contact Number of the authorised person)

Place :

Date :

Checklist of Documents

S.No.	Documents	Remark
1	Name of the Promoters with a brief note on the business antecedents :- (in not more than 60 words)	
2	Copy of proof of legal authorized person from unit	
3	Status of Owner/Promoter	
	A) If public/private limited company with copies of Memorandum and Articles of Association	
	Or	
	B) If partnership, a copy of partnership Deed and Certificate of Registration	
	Or	
	C) If proprietary concern, name and address of proprietor/certificate of registration	
	Or	
	D) In case of legal entity other than above a,b,c. Furnish the details and registration from competent authority.	
4	Copy of certificate of establishment of firm/company	
5	Copies of Land Records	
	A) Ownership Documents	
	I. Certified Khasra	
	II. Site Map	
	B) Title - copy of registered sale deed or lease deed	
6	Copy of project report	
7	Copy of certificate from town and country planning (TNCP)	
8	Copy of map sanctioned by the local authority (Municipal Corporation, Municipality etc.)	
9	Copy of the building permission granted by the appropriate authority	
10	Copy of Approved floor plan	
11	Completion certificate from competent authority	
12	Total project cost certificate certified by certified Engineer/Valuer	
13	Total capital cost certificate certified by CA	
14	Bank Statement	
15	Debt details from concerned financial institution	
16	Proof of date of commercial operation-Photocopy of first	
	A) Ticket sold	
	B) Food & Beverage bill	
	C) Copy of first bill of service/facility provided	
	D) Any other legally acceptable proof to prove the date of commercial operation.	
17	Photographs (IPG Format not more than 500 KB Size) from3 different angles (building & Projection-Screening area)	
18	List of Employees with copy of their Aadhar/EPFO Reg. certificate (If applicable)	
19	FSSAI Certificate if Cafeteria/Food & Beverage facility is available	
20	NOC from Pollution Control Board /Fire safety dept./ Competent authority/local body	
21	Cancelled cheque of the firm/company	
22	Copy of PAN card	
23	Copy of photo ID proof (Aadhar card/Voter ID/Passport etc.)	
24	Copy of vender form	
25	Other documents if any.	

Seal and Signature of the applicant

UNDERTAKING/ DECLARATION

To be submitted by the Applicant on a Non-judicial Stamp paper of Rs. 50/-(Min) (duly affixed with Notarial Stamp; and with Notary Seal & Notary Registration number)

I/We ...., ... hereby solemnly affirm and declare as under:

(a) That the aforesaid Company/Firm/Establishment(s) have not availed reimbursement/subsidy/grant/incentive under any Scheme operated by Central Govt / State Govt./ Financial Institution etc.

(b) I hereby solemnly affirm that the information given above is correct. In case any declaration/ information is found wrong or incorrect or misleading, I do hereby bind myself & my unit and undertake to pay to the Government on demand the full amount received as reimbursement/subsidy/grant/incentive within thirty (30) days of the demand being made to me in writing.

(c) I will be solely responsible for any outcome whatsoever if arises in future and ready to peruse the legal process in case of violation of any promised term as mentioned above.

Authrised Signature
Name
Company
Designation
Contact no and email

परिशिष्ट -3

मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 की कंडिका 19 के अंतर्गत पात्र नवीन एकल स्क्रीन सिनेमाघर की स्थापना, मौजूदा सिनेमाघर के पुर्नउद्धार एवं बन्द पड़े सिनेमाघरों को फिर से क्रियाशील करने पर किये गये अद्धतन कार्य हेतु पात्र परियोजनाओं तथा मल्टीप्लेक्स की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान की गणना पूंजीगत अनुदान प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया

मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 के अंतर्गत उपरोक्त दिये जाने वाले अनुदानों एवं रियायतों के संबंध में आवेदक के द्वारा आवेदन करने से लेकर अनुदान का भुगतान करने तक के संबंध में निम्न प्रक्रिया का पालन मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा किया जायेगा:-

1. आवेदक द्वारा अध्यक्ष फिल्म फैसिलिटेशन सेल (प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड) को आवेदन निर्धारित प्रारूप में ऑन-लाइन स्वीकार किये जावेंगे तथा ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ होने तक मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड भोपाल कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा जमा किये जा सकेंगे।
2. आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से परीक्षण हेतु निर्धारित प्रारूप में सहायक प्रबंधक/ परियोजना सहायक द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर उप संचालक (फिल्म) को प्रस्तुत किये जायेंगे। **(प्रारूप-प्रपत्र 1)**
4. उप संचालक द्वारा प्रकरण व पात्रता का परीक्षण कर प्रकरण में त्रुटियों/कमियों को इंगित कर, पात्रता/अपात्रता इंगित कर अथवा पूर्ण पात्र प्रकरण होने पर तदनुसार उल्लेख कर प्रकरण अध्यक्ष फिल्म फैसिलिटेशन सेल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
5. अध्यक्ष द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय सूचित किये जायेंगे:-
    - अ. अपूर्ण पाये जाने पर त्रुटिपूर्ति हेतु पूर्ण विवरण सहित पात्र प्रकरण में त्रुटिपूर्ति निर्देश दिए जायेंगे।
    - ब. अपात्र होने पर आवेदन निरस्ती आदेश दिया जायेगा।
    - स. उपरोक्त सूचना ई-मेल के माध्यम से इकाई को दी जायेगी तथा ऑन-लाइन प्रणाली (लागू होने) पर स्टेटस रिर्पोट अपडेट की जायेगी।
    - द. प्रकरण अपूर्ण होने पर आवेदक को त्रुटिपूर्ति हेतु 15 दिवस का समय दिया जायेगा। आवेदक की मांग पर यथा आवश्यक समय दिया जा सकेगा। प्रकरण पूर्ण होने पर पुन: उप संचालक (फिल्म) के माध्यम से अध्यक्ष फिल्म फैसिलिटेशन सेल को प्रस्तुत किया जायेगा।
    - इ. प्रकरण पूर्ण होने व इकाई पात्र होने पर प्रकरण में स्थल निरीक्षण कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु निर्देश दिये जायेंगे।

6. प्रकरण की जांच एवं स्थल निरीक्षण निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति द्वारा की जायेगी:-
   - (i) उप संचालक/विभागाध्यक्ष फिल्म पर्यटन, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड
   - (ii) उप संचालक/विभागाध्यक्ष वित्त, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड
   - (iii) विषय विशेषज्ञ/कार्यपालन यंत्री, (मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम)
   - (iv) अन्य जो भी परियोजना मूल्यांकन की दृष्टि से आवश्यक हो
7. प्रबंध संचालक से प्राप्त निर्देशानुसार समिति द्वारा प्रकरण में अभिलेखों की जांच नियमावली में वर्णित चेक लिस्ट के आधार पर उपरोक्त निरीक्षणकर्ता समिति द्वारा की जावेगी एवं स्थल का भौतिक निरीक्षण किया जायेगा। भौतिक निरीक्षण, इकाई को पूर्व सूचना देकर उसकी उपस्थिति में किया जायेगा।
8. उपरोक्त समिति द्वारा संलग्न **(प्रपत्र-2)** में संक्षेपिका तैयार कर अनुदान की राशि के भुगतान हेतु अनुशंसा फिल्म फैसिलिटेशन सेल को की जावेगी।
9. यदि समिति की अनुशंसा पर फिल्म फैसिलिटेशन सेल द्वारा कोई स्पष्टीकरण चाहा जाता है तो ऐसी दशा में वांछित जानकारी पुन: स्वीकृति हेतु उप संचालक (फिल्म) के माध्यम से प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जावेगी।
10. अध्यक्ष फिल्म फैसिलिटेशन सेल द्वारा निरीक्षणकर्ता समिति की अनुशंसा उपरान्त प्रकरण निराकरण हेतु एफएफसी की बैठक आयोजित कर स्वीकृति एवं राशि भुगतान हेतु निर्णय दिया जायेगा। स्वीकृति आदेश अध्यक्ष फिल्म फैसिलिटेशन सेल द्वारा (**प्रपत्र 3)** के अनुसार जारी किया जावेगा।
11. उप संचालक/विभागाध्यक्ष फिल्म पर्यटन द्वारा स्वीकृति आदेश जारी करने के उपरांत बजट उपलब्ध होने की दशा में राज्य शासन की मद मांग संख्या 37 आयोजना मुख्य शीर्ष 3452 पर्यटन के अंतर्गत योजना शीर्ष 1271 पर्यटन नीति क्रियान्वयन-44-राज सहायता-008(0101-सामान्य) अथवा जो भी बजट शीर्ष शासन द्वारा नियत किया गया हो, में प्राप्त राशि से भुगतान हेतु उप संचालक (वित्त) को स्वीकृति जारी की जायेगी।
12. उपसंचालक वित्त द्वारा राशि उपलब्ध होने पर अनुदान का भुगतान आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट खाते में ऑनलाइन किया जावेगा। यदि आवेदक ने ऋण लिया है तो वह अनुदान का भुगतान उस संबंधित वित्तीय संस्थान, बैंक के खाते में प्राप्त कर सकेगा। भुगतान की सूचना उपसंचालक/विभागाध्यक्ष (वित्त) द्वारा लिखित में उपसंचालक/ विभागाध्यक्ष फिल्म पर्यटन को तत्काल भेजी जावेगी।
13. पात्र अनुदान प्रकरण का निराकरण पूर्ण आवेदन प्राप्त दिनांक से 45 दिवस में किया जायेगा।

14. किसी भी प्रकरण में अध्यक्ष फिल्म फैसिलिटेशन सेल द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

प्रपत्र -1 (प्रारूप)

मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 की कंडिका 19 के अंतर्गत पात्र नवीन एकल स्क्रीन सिनेमाघर की स्थापना, मौजूदा सिनेमाघर के पुर्नउद्धार एवं बन्द पड़े सिनेमाघरों को फिर से क्रियाशील करने पर किये गये अद्धतन कार्य हेतु पात्र परियोजनाओं तथा मल्टीप्लेक्स की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान की गणना पूंजीगत अनुदान प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रियांतर्गत प्रकरण परीक्षण एवं चेकलिस्ट।

1. इकाई का नाम
2. इकाई का डाक पता तथा दूरभाष क्रमांक ईमेल, वेबसाइट, फैक्स आदि
3. इकाई के प्रवर्तकों का नाम, पदनाम एवं मोबाईल तथा दूरभाष क्रमांक
4. इकाई का स्वरूप- स्वामित्वक, पार्टनरशिप, कम्पनी आदि।
5. कम्पनी के गठन का प्रमाण पत्र/पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
6. प्रकरण कार्यालय में प्राप्त होने का दिनांक
7. इकाई किस स्थल पर निर्मित है
8. स्थापित इकाई का संक्षिप्त विवरण
9. इकाई द्वारा चार्टड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया स्थायी पूंजी निवेश (रुपये में)
   - अ. भूमि
   - ब. भवन
   - स. मशीनरी एवं संयंत्र
   - द. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां
   - योग
10. वित्त व्यवस्था
    - अ. स्वयं के स्रोत से
    - ब. बैंक/वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण
    - स. बैंक/वित्तीय संस्था का नाम एवं शाखा
11. प्रकरण का परीक्षण किया गया एवं निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार प्रमुख जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	जानकारी का विवरण	रिमार्क जानकारी संलग्न अथवा नहीं तथा संलग्न जानकारी पूर्ण है अथवा नहीं
1.	(a) If public/private limited company copies of Memorandum and Articles of Association and compay registration certificate copy.	
	Or	
	(b) If partnership, a copy of partnership Deed and Certificate of Registration	
	Or	
	(c) If proprietary concern, name and address of proprietor	
	Or	
	(d) If legal entity other the a, b, c above the details and copy of registration from competent authority.	
2	Copies of Land Records of project site.	
	(a) Ownership Documents	
	I. Certified Khasra	
	II. Site Map	
	(b) Title - copy of registered sale deed or lease deed	
3	Copy of project report	
4	Total project cost as certificate certified by certified CA/Engineer/Valuer ***(including all mendatory equipment)***	
5	Total capital expenditure certificate by CA with lists of investments	
6	Bank Statement	
7	List of Employees with copy of their Aadhar/EPFO Reg. certificate (If applicable)	
8	FSSAI Certificate if Cafeteria/Food & Beverage facility is available	
9	NOC from Pollution Control Board /Fire safety/ Competent authority	
10	Details of Unit	
	(a) No. of Projection Screen	
	(b) No. of Seats/Chairs per screen	
	(c) Each Projection Screen size	
	(d) Projector details	
	(e) Others related information	

11	Proof of date of commercial operation-Photocopy of first:-	
	A) Ticket sold	
	B) Food & Beverage bill	
	C) Copy of first bill of service/facility provided	
	D) Any other legally acceptable proof to prove the date of commercial operation.	
12	Photographs (JPG Format not more than 500 KB Size) from 3 different angles	
13	Cancelled cheque of the firm/company and vendor form duly filled.	
14	Copy of map approved by the local authority (Municipal Corporation, Municipality etc.) along with approval letter	
15	Copy of the building permission granted by the appropriate authority	
16	Copy of the registration/permission by local self govt./ concerned govt. department/ regulatory authority etc	
17	Copy of GST/service tax valid registration (whichever is applicable)	
18	PAN No. Copy	
19	Total subsidy claimed by the applicant.	
20	Maximum subsidy limit for the project as per policy	
21	Any other information furnished by the applicant	

उपरोक्तानुसार परीक्षणोंपरांत विवरण आगामी कार्रवाई हेतु प्रस्तुत है।

सहायक प्रबंधक/परियोजना सहायक

उप संचालक (फिल्म)

प्रपत्र-2 (प्रारूप)

मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 की कंडिका 19 के अंतर्गत पात्र फिल्म पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पर देय पूंजीगत अनुदान प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रियांतर्गत समिति गठित कर निरीक्षण व अनुशंसा प्रतिवेदन।

क्र.	प्रतिवेदन के बिन्दु	प्रतिवेदित जानकारी
1	इकाई का नाम	
2	इकाई का डाक पता तथा दूरभाष क्रमांक, ईमेल, वेबसाइट, फैक्स आदि	
3	इकाई किस स्थल पर निर्मित है	
	इकाई का प्रकार	
4	स्थापित इकाई का संक्षिप्त विवरण	
5	इकाई के प्रवर्तकों का नाम, पदनाम एवं मोबाईल तथा दूरभाष क्रमांक, ई-मेल	
6	इकाई की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम एवं मोबाईल तथा दूरभाष क्रमांक, ई-मेल	
7	इकाई का स्वरूप- स्वामित्वक, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, सोसायटी, प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कम्पनी आदि	
8	कम्पनी के गठन का प्रमाण पत्र/ पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक/ पार्टनरशिप डीड प्रति एवं डीड पंजीयन क्रमांक/ अन्य विधिक संगठन होने पर पंजीयन क्रमांक, दिनांक/ स्वामित्वक इकाई होने पर स्वामी का नाम व पता	
9	GST no. and date, Service tax registration no. and date, PAN no.	
10	प्रकरण समिति को परीक्षण हेतु कार्यालय में प्राप्त होने का दिनांक	
11	इकाई द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय (रुपये में) सी.ए. प्रमाण पत्र अनुसार इकाई	

	में व्यवसायिक कार्य प्रारंभ तिथि................ तक अ. मूल पूंजीगत व्यय ब. अन्य पूंजीगत व्यय स. कार्यशील पूंजी	
12	वित्त व्यवस्था अ. स्वयं के स्रोत से ब. बैंक/वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण स. अन्य उधार/ वित्तीय व्यवस्था स्रोत सहित द. बैंक/वित्तीय संस्था का नाम	
13	अनुदान हेतु मान्य पूंजीगत व्यय यथा शासन आदेश...........	
14	परियोजना की भूमि के स्वामित्व का विवरण भूमि, खसरा, रकबा। भूमि किसके नाम पर है। यदि लीज है तो किसके द्वारा किसको दी गयी है। लीज अवधि क्या है। लीज पंजीयन का विवरण।	
15	परियोजना हेतु प्राप्त निर्माण अनुमतियों का विवरण नगर निकाय, नगर पालिका, स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत) ले आउट प्लान एवं बिल्डिंग प्लान की अनुमति जारी करने का क्रमांक, दिनांक व अनुमति किसके नाम से प्राप्त की गयी है।	
16	प्रदूषण नियंत्रण मंडल से प्राप्त अनापत्ति का विवरण पत्र क्रमांक/ दिनांक	
17	अन्य प्राप्त अनुमतियों का ब्यौरा, पत्र क्रमांक व दिनांक	
18	परियोजना के व्यवसायिक कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	
19	**(a) निर्मित मुख्य अधोसंरचनाओं का विवरण निर्मित क्षेत्र संख्या क्षमता/साईज** 1. प्रोजेक्शन स्क्रीन	

	2. सिनेमा हॉल 3 दर्शकों के बैठने कि क्षमता / कुर्सियां 4. ओपन एरिया/ लॉबी 5. खान-पान स्थल 7. स्टोर्स/ ऑफिस एरिया/ क्लॉक रूम 8. प्रसाधन 9. आपातकालीन निकास 10. टेंट/टीनशेड 11. सड़कें/विद्युत, जल प्रदाय/जल-मल/सीवेज निकासी कॉमन इंस्फ्रास्ट्रक्चर **(b) स्थापित अधोसंरचनाये** 1. यंत्र, उपकरण, टूल 2. मशीनरी, संयंत्र 3. एक्टिविटी अधोसंरचना 4. बॉक्स आफिस/ टिकिट विंडो 5. अग्निशमन यन्त्र/ व्यवस्था 6. अपशिष्ट/ कचना प्रबंधन **(c) शासन द्वारा नियत परिभाषा अनुसार अन्य निर्मित अधोसंरचनायें**	
20	क्या इकाई की स्थापना अनुमोदित बिल्डिंग प्लान अनुसार की गयी है?	
21	क्या इकाई द्वारा प्रस्तुत जानकारी का मूल विवरण से एवं भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है?	
22	क्या इकाई मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 में निर्धारित पात्रता मापदंडों एवं अन्य दिशा निर्देशों को पूर्ण करती है?	
23	क्या इकाई निरीक्षण दिनांक को विधिवत कार्यरत पायी गयी हैं?	
24	अन्य विवरण/ टीप जो समिति आवश्यक समझे	

अनुशंसा

समिति द्वारा दिनांक .... को इकाई का निरीक्षण किया गया। इकाई मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 की कंडिका 19 .... के अनुसार पूंजीगत अनुदान हेतु पात्र है। इकाई द्वारा किये गये कुल पूंजीगत व्यय रू. .... में से रू. .... पूंजीगत व्यय अनुदान योग्य मान्य किया जाता है। अत: मान्य पूंजीगत व्यय पर नियमानुसार इकाई को .... प्रतिशत दर से रूपये .... पूंजीगत अनुदान स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है। इकाई ने यह राशि उनके खाता क्रमांक .... बैंक/वित्तीय संस्था .... IFSC Code .... में भुगतान हेतु अनुरोध किया है। भुगतान हेतु आवश्यक वेंडर फार्म संलग्न है।

अथवा

निम्नलिखित कारणों से समिति द्वारा इकाई को पूंजीगत अनुदान स्वीकृत करने की अनुशंसा नहीं की गयी है।

1.
2.
3.
4.

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक ....

समिति सदस्यों के हस्ताक्षर

उप संचालक(फिल्म) /विभागाध्यक्ष म.प्र.टू.बो.	**उप संचालक(वित्त) /विभागाध्यक्ष म.प्र.टू.बो.**	**विषय विशेषज्ञ/कार्यपालन यंत्री, मुख्यालय म.प्र. पर्यटन वि.नि.**

***अन्य जो भी परियोजना मूल्यांकन की दृष्टि से आवश्यक हो**

प्रपत्र -3 (प्रारूप)

मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड, भोपाल

क्रमांक/................................/एफएफसी/2022 **भोपाल, दिनांक ....**

प्रति,

(इकाई का नाम एवं पता, इकाई की कंपनी/फर्म के नाम सहित)

....

....

विषय:- मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 की कंडिका 19 के अंतर्गत अनुदान हेतु पात्र नवीन एकल स्क्रीन सिनेमाहाल/सिनेमाहाल पुर्नउद्धार/अद्धतन कार्य/मल्टीप्लेक्स परियोजना के पूंजीगत अनुदान प्रकरण का स्वीकृति सूचना पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत अनुदान आवेदन क्रमांक .... दिनांक .... के संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि आपकी इकाई को रूपये........................ अनुदान हेतु पात्र माना जाकर मान्य पूंजीगत अनुदान स्वीकृत किया गया है। यह अनुदान राशि बजट उपलब्धता अनुसार आपके द्वारा दिये गये इकाई के बैंक खाते में यथाशीघ्र स्थानांतरित की जायेगी। कृपया राशि प्राप्त होते ही प्राप्ति सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें। यह पत्र आपको, आपके द्वारा प्रदत्त ई-मेल पते पर भी भेजा गया है।

सदस्य सचिव, फिल्म फेसिलिटेशन सेल
मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड

पृ० **क्रमांक/................................/एफएफसी/2022** **भोपाल, दिनांक ....**

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप संचालक (वित्त) की ओर प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त स्वीकृत अनुदान राशि इकाई के बैंक/वित्तीय संस्था खाता क्रमांक .... बैंक/वित्तीय संस्था .... शाखा IFSC Code .... में अंतरित कर फिल्म पर्यटन शाखा को विवरण सहित अवगत कराने का कष्ट करें।

सदस्य सचिव, फिल्म फेसिलिटेशन सेल
मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड